

कार्यालय जिला परिषद्, बाड़मेर

क्रमांक :- प.(15)जिपबा/पराज/FFC/2024-25/E-File No. 00011

दिनांक :-

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति समस्त
जिला बाड़मेर/बालोतरा

विषय :- 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देय टाईड अनुदान की द्वितीय किश्त की राशि रुपये 872.86 करोड़ राशि के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर मेन्युल रिसिप्ट वाऊचर की एन्ट्री खुलवाने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक राजकाज नं. 13315375 दिनांक 30.01.2025 के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख हैं कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशि को ऑनलाईन दर्ज किया जाने हेतु सुविधा प्रदान की गई हैं।

उल्लेखनीय हैं कि 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देय टाईड अनुदान की द्वितीय किश्त की राशि रुपये 872.86 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय टाईड अनुदान की प्रथम किश्त की राशि रुपये 791.34 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जा चुकी है, किन्तु तकनीकी कारणों से सम्पूर्ण राशि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही थी। जिसके क्रम में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त राशि के मेन्युल रिसिप्ट दिनांक 20.02.2025 तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी हैं।

गौरतलब हैं कि 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देय टाईड अनुदान की द्वितीय किश्त की राशि रुपये 872.86 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय टाईड अनुदान की प्रथम किश्त की राशि रुपये 791.34 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की गई राशि की सीमा में मेन्युअल रिसिप्ट वाऊचर की एन्ट्री किया जाना सुनिश्चित करें, उक्त राशि की सीमा से अधिक राशि का इन्द्राज किये जाने पर आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

अतः उक्त प्रकरण में निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त राशि के मेन्युल रिसिप्ट प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, बाड़मेर

क्रमांक :- प.(15)जिपबा/पराज/FFC/2024-25/E-File No. 00011

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर/जिला बालोतरा।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर।
5. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद्, बाड़मेर।
6. प्रभारी अधिकारी एफ.एफ.सी. शाखा, जिला परिषद्, बाड़मेर।
7. योजना/मौनी./तकनीकी/लेखा शाखा, इस कार्यालय।
8. रक्षक प्रति इस कार्यालय।



Signature valid

Digitally signed by Raj Kumar
Designation: Chief Executive Officer
Date: 2025.02.06 19:36:41 IST
Reason: Approved

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, बाड़मेर



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 165() पंरावि/लेखा/पीएफएमएस/2020-21/

जयपुर, दिनांक : 30.01.2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद- समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति- समस्त।

विषय :-15वें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देय टाईड अनुदान की द्वितीय किश्त की राशि रुपये 872.86 करोड राशि के ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर मेन्युल रिसिप्ट वाउचर की एन्ट्री खुलवाने के संबंध में।

संदर्भ :-विभागीय पत्रांक एफ 165() पंरावि/लेखा/पीएफएमएस/2020-21/ 12719169 दिनांक 03.01.2025 एवं पंचायतीराज मंत्रालय एवं जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.01.2025 को आयोजित वी.सी. के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पंचायती राज भारत सरकार मंत्रालय द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशि को ऑनलाईन दर्ज किया जाने हेतु सुविधा प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देय टाईड अनुदान की द्वितीय किश्त की राशि रुपये 872.86 करोड वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय टाईड अनुदान की प्रथम किश्त की राशि रुपये 791.34 करोड पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जा चुकी है, किन्तु तकनीकी कारणों से सम्पूर्ण राशि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही थी। जिसके क्रम में पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त राशि के मेन्युल रिसिप्ट दिनांक 20.02.2025 तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देय टाईड अनुदान की द्वितीय किश्त की राशि रुपये 872.86 करोड वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय टाईड अनुदान की प्रथम किश्त की राशि रुपये 791.34 करोड पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की गई राशि की सीमा में ही मेन्युअल रिसिप्ट वाउचर की एन्ट्री किया जाना सुनिश्चित करे, उक्त राशि की सीमा से अधिक राशि का इन्द्राज किये जाने पर आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

अतः उक्त प्रकरण निर्देशित किया जाता है कि उक्त राशि के मेन्युल रिसिप्ट प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(के.के.मीना)

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक एफ 165() पंरावि/लेखा/पीएफएमएस/2020-21/

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. एसपीएमयू टीम को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण अन्तर्गत पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Document certified by Krishan Kanhiya
Meena <kk_meena75@rediffmail.com>.

Digitally Signed by KRISHAN
MEENA
Designation: Financial Advisor
Date :30-01-2025 05:24:51